न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 05/2017 **RCMS No.—2017/00171**

1. जितेन्द्र शर्मा पुत्र स्व0 श्री मोहरीलाल आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम बामणवास, पोस्ट बोबाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. शम्भुदयाल आयु 50 वर्ष
2. जगन्नाथ आयु 48 वर्ष
3. बाबूलाल आयु 45 वर्ष
4. अशोक आयु 40 वर्ष
   पुत्रान स्व. श्री नारायण सहाय जाति ब्राहम्ण, निवासी मोहल्ला बाकोलिया, ग्राम बोबाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
5. ग्राम पंचायत बोबाडी, पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर। जरिये सरपंच/सचिव।
6. पंचायत समिति जमवारामगढ जिला जयपुर जरिये विकास अधिकारी।

............विपक्षीगण

निगरानी याचिका अर्न्तगत धारा 97 (20) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 विरूद्व आदेश दिनांक 24.03.2017 पारित पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर।

उपस्थितः–

1. श्री सियाराम शर्मा एवं राकेश बापलावत अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री राजेश पारीक एवं नेमीचन्द जलवानिया अधिवक्ता गैर निगरानीकार की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 14.11.2018

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी विकास अधिकारी पंचायत समिति, जमवारामगढ के निर्णय/आदेश दिनांक 24.03.2017 असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या– एक लगायत 4 की ओर से श्री राजेश पारीक अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या–5 की एवं अप्रार्थी संख्या–6 ग्राम पंचायत बोबाडीकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल तलब की गई। मिसल अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति जमवारामगढ से उनके पत्रांक 10157 दिनांक 07.11.2017 से प्राप्त हुई जो कि शामिल मिसल की गई। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

योग्य अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ द्वारा नियमों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है व निर्णय पारित करने से पहले निगरानीकारान को सूचना नहीं दी तथा निर्णय पारित करने से पूर्व निगरानीकारान को अवगत नहीं कराया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ के कार्यालय में इस आशय का दिनांक 06.01.2017 को प्रस्तुत किया गया था कि [illegible] बोबाडी की

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

सीमा पर प्रार्थी का शामलाती मकान है जिसके उत्तरी भाग में निगरानीकर्ता एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 4 का शामलाती बाडा है जिस पर गैर निगरानीकारान द्वारा अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण कार्य कर रहे है। उक्त विवादित बाडे में निगरानीकार का भी हिस्सा है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विकास अधिकारी पं. स. जमवारामगढ द्वारा सचिव ग्राम पंचायत बोबाडी को यह आदेश दिया था कि श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर के पत्र कमांक 4904 दिनांक 27.12. 2016 की पालना में प्रकरण में की जा रही कार्यवाही को यथावत रखते हुए निर्माण/नये अतिक्रमण को रूकवाने के आदेश दिये। उक्त आदेश दिनांक 02.01.2017 की पालना में अप्रार्थीगणों द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया किन्तु दिनांक 24.03.2017 को बिना निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये विवादित भूमि पर जारी किये गये यथास्थिति के आदेश को निरस्त कर दिया गया। दिनांक 24.03.2017 के बाद विवादित भूमि पर निर्माण कार्य चालू कर दिया जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा कार्य रूकवाने जाने पर उक्त निगरानीधीन आदेश की जानकारी हुई। विवादित भूमि पर निगरानीकर्ता का ही कब्जा है जो पूर्वजो के समय से चला आ रहा है। उक्त विवादित बाडे का क्षेत्रफल 365. 65 वर्गगज है जिस पर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगरानीकर्ता संख्या 6 द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.03.2017 को अपास्त किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

वकील गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 लगायत 4 द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि निगरानी विधि के प्रावधानों के विपरीत है एवं तथ्यो से सरासर विपरीत है क्योंकि जिस आदेश की निगरानी पेश की गई है, उस आदेश से निगरानीकर्ता का कोई संबंध नहीं है जो निर्णय दिनांक 21.03.2017 को पंचायत की बैठक में लिया गया है उसे पूर्ण जांच पडताल के लिया गया है। मौका रिपोर्ट दिनांक 17.03.2017 से स्पष्ट है कि मोहरीलाल बनाम शिवबक्स मामले की भूमि अलग एवं वादग्रस्त भूमि अलग–अलग है। विवादित भूमि पर गैर निगरानीकारान का ही कब्जा है एवं गैर निगरानीकारान के कब्जेशुदा भूमि पर ही निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जिसकी मौका रिपोर्ट पंचायत द्वारा दिनांक 17.03.2017 को पंचायत के क्षेत्राधिकार में ली गई है, जो सक्षम वार्ड पंचो द्वारा मौके पर जाकर तैयार की गई है, जो पंचायत के आदेश दिनांक 01.03.2017 की पालना मे 06.03.2017 के प्रस्ताव संख्या 2 द्वारा गठित कमेटी सदस्यों द्वारा की गई थी जिसमें मौजबीन लोगो के हस्ताक्षर भी लिये गये। विवादित भूमि का निगरानीकर्ता से कोई लेना देना नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा दी गई मौका रिपोर्ट के आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ का निगरानीधीन आदेश दिनांक 24.03.2017 पारित किया है जो विधिसम्मत है। निगरानीकर्ता के पास विवादित भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज/रिपोर्ट नहीं है। निगरानी निराधार होने एवं विधिक नियमों के विपरीत होने से

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 लगायत 4 की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ की पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। विकास अधिकारी पं.स. जमवारामगढ की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बोबाडी स्थित विवादित भूमि पर अवैध निर्माण एवं अवैध कब्जा हटवाने संबंधी प्रार्थना पत्र निगरानीकर्ता द्वारा द्वारा दिनांक 02.01.17 को विकास अधिकारी पं.स. जमवारामगढ के समक्ष पेश किया। निगरानीकार के आवेदन पत्र पर आगे कार्यवाही करते हुए विवादित भूमि पर विकास अधिकारी जमवारामगढ द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर आदेश दिनांक 27.12.16 के आधार पर विवादित भूमि पर यथास्थिति के आदेश दिए गए। गैर निगरानीकार संख्या 3 द्वारा दिनांक 01.03.17 को निगरानीकर्ता द्वारा पेश किए गए प्रार्थना पत्र दिनांक 02.01.2017 की जांच बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर विकास अधिकारी पं.स. जमवारामगढ ने विवादित भूमि की जांच एवं मौका रिपोर्ट हेतु सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बोबाडी को निर्देशित किया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा अपना जवाब मय मौका रिर्पोर्ट दिनांक 21.03.2017 को विकास अधिकारी पं.स. जमवारामगढ को प्रेषित किया गया। जिसके आधार पर विकास अधिकारी पं.स. जमवारामगढ ने निगरानीधीन आदेश दिनांक 24.03. 2017 दिया गया जिसमें पूर्व में विवादित भूमि पर दिया गया यथास्थिति का आदेश अपास्त किया गया। ग्राम पंचायत बोबाडी द्वारा पेश की गयी मौका रिपोर्ट स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 4 का ही कब्जा है तथा विवादित भूमि गैर निगरानीकारान की पैतृक कब्जेशुदा भूमि है तथा रास्ते पर अन्य किसी प्रकार अतिक्रमण नहीं है। वकील निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज/सबूत स्पष्ट नहीं किया जिससे ये स्पष्ट हो कि विवादित भूमि/बाडे पर निगरानीकर्ता का कब्जा है एवं प्रकरण में ग्रा0प0 बोबाडी द्वारा दी गई मौका रिपोर्ट सहीं नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर हम विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ के आदेश दिनांक 24.03. 2017 में किसी प्रकार का संशोधन करना उचित नहीं समझते है। निगरानीधीन आदेश विधिक प्रकिया अपनाकर ही पारित किया गया है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)